राजस्व मण्डल ग्वालियर

न्यायालय श्रीमान् ~~अध्यक्ष~~ महोदय रीवा ~~संभाग~~ रीवा (म०प्र०)

R. 5142-दो/15

श्री लोकेश त्रिपाठी अधि० एड० द्वारा पेश 4-11-15

कलर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

102

छोटकी उर्फ छोटकई पति श्री रामबहादुर भुर्तिया उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम रजहा तहसील त्योंथर जिला रीवा म०प्र० ------ पुनरीक्षणकर्ता (आवेदिका)

बनाम

1- काशीप्रसाद तनय महादेव भुर्तिया निवासी ग्राम रजहा तह०, त्योंथर

2- महावीर)
3- दयाशंकर) पुत्रगण काशीप्रसाद भुर्तिया सभी निवासी ग्राम रजहा तहसील त्योंथर जिला रीवा म०प्र०
4- लालबहादुर)
5- राजबहादुर)

------ अनावेदकगण

पुनरीक्षण आवेदन पत्र विरुद्ध आदेश श्री अनुविभागीय अधिकारी महोदय त्योंथर जरिए प्र0क्र01 37अपील/ 15-15 आदेश दिनांक 16.10.15 एवं स्थगन आदेश अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू०रा०सं०1959

मान्यवर,

पुनरीक्षण आवेदन के आधार निम्न हैं :--

(1) यह कि माननीय अनुविभागीय अधिकारी उपखण्डत्योंथर के न्यायालय में काशी भुर्तिया ने महावीर वगैरह के विरुद्ध अपील पंजी क्रं. 4 आदेश दिनांक 3.2.1990 की अपील सन् 2015 में दिनांक 25-8-15 को पेश किया है ।

(2) यह कि पुनरीक्षणकर्ता अपील में पक्षकार रेस्पा०नही थी उसने न्यायालय में आवेदन करके रेस्पा०क्रं. 5 बाद में बनी प्रकरण में अगली तारीखपेशी

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R. 5142-II/15 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2-2-16	प्रकरण में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने गए तथा उपलब्ध अभिलेख का परिशीलन किया गया। तर्क में कहा गया कि निगराकार छोटकी, अनावेदक-1 काशी की पुत्रवधु है, जो विधवा है, एवं जिसके पति एवं ससुर के बीच 1990 में (आपसी से) बटवारा हुआ था, जिसे 25 वर्ष बाद ससुर निरस्त कराना चाहता है। आक्षेपित आदेश दि. 16.10.15 द्वारा SDO ने बगैर कोई आधार दर्शाए इतने लम्बे विलम्ब को माफ किया है, जो ठीक नहीं है। SDO के आक्षेपित आदेश दि. 16.10.15 के परिशीलन से मैं यह पाता हूँ कि उसमें विलम्ब माफी किए जाने के पूर्व ऐसा किए जाने के कोई कारण एवं आधार नहीं लिखे गए हैं, और यह आदेश बोलते स्वरूप का नहीं है। अतः, मैं SDO का यह आक्षेपित आदेश दि. 16.10.15 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ तथा SDO को यह निर्देश	

[कृ. प. उ.

R 5142 II/15 जिला- रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	देता हूँ कि वे अपने न्यायालय के अपील प्रकरण में ~~का~~ अपने निर्णय के कारण एवं आधार दर्शाते हुए, धारा 5 के आवेदन पर नए सिरे से बोलते स्वरूप का आदेश पारित करें। पक्षकार एवं SDO सूचित हों। प्रकरण समाप्त। दा.द. हो। (हस्ताक्षर) (सदस्य)	